

Van Mitra

[Haryana Government scheme for plantation by community on non-forest land]

Executive Summary

The Van Mitra scheme is an initiative by the government to encourage community participation in tree plantation activities on non-forest lands. Recognizing the critical role of green cover for a healthy environment and the shortfall in forest areas in Haryana, this scheme aims to involve local communities directly in enhancing tree cover across the state. By leveraging the support of 7500 local volunteers from economically weaker sections, the scheme envisions fostering a culture of environmental guardianship and personal commitment towards tree planting and care.

Introduction

Environmental sustainability depends on the extent of green cover on the land. In forest-deficit states like Haryana, the need is to increase tree cover outside designated forest areas for the restoration of ecological balance and ambient environment for the citizens. The Van Mitra scheme represents a strategic intervention aimed at mobilizing community resources and inculcating enthusiasm for tree plantation and aftercare of plantations.

Scheme Overview

Objective: To promote community participation in tree plantation, ensuring increased survival rates of plantations and enhancing tree cover on non-forest land for a healthier living environment.

Operational Procedure

1. **Public Awareness:** The scheme will be given large publicity through print and visual media and the website of the forest department.
2. **Identification of Eligible Families:** The eligible families/persons having an annual income of less than 1.8 lakh will be identified from data of Parivar Pehchan Patra (PPP) maintained by the Citizens Resources Information Department (CRID) and intimation of eligibility for participation in the scheme will be given to the families through various measures. Through this message, the stakeholders will be made aware of the process of registration on the Van Mitra portal/ mobile app. of the scheme.
3. **Registration:** The eligible families will register one eligible member (age between 18 to 60 years) of the family on Van Mitra mobile app. The information on the number of saplings to be planted subject to a maximum of 1000 saplings will be given at the time of registration by the family member. Amongst the registered applicants, priority will be given to the family having a lower income and the applicants of younger age.
4. **Land Identification:** The Van Mitra will arrange the land for plantation.

5. **Training:** Van Mitras will be provided basic training on plantation techniques and protection measures. They will also be provided hands-on training on the Van Mitra mobile app.

Implementation Timeline and Activities

1st Year

- **February/March:** Registration, selection and training.
- **By June 10th:** Completion of pit digging for plantation.
- **July 1st to August 15th:** Plantation period.
- **By August 31st:** Completion of plantation verification and geo-tagging.
- **September to April:** Maintenance and protection of plantation.

2nd , 3rd and 4th Year

- Maintenance and protection of plantation.

Honorarium

1st Year

- **Last Week of June:** Rs. 20 per dug-up pit on geo-tagging and uploading of photographs of the pits by Van Mitra on the mobile app.
- **Last week of July and August:** Rs. 30 per planted sapling after geo-tagging of planted sapling by the Van Mitra.
- **Last week of Months from September onwards:** Rs. 10 per surviving sapling for maintenance and protection of plantation.

2nd Year

- Rs. 8 per surviving sapling in the last week of every month.

3rd Year

- Rs. 5 per surviving sapling in the last week of every month.

4th Year

- Rs. 3 per surviving sapling in the last week of every month.

Technology Integration

- **Van Mitra App:** For registration, geo-tagging and assessment of survival of plantations.

- Payment of honorarium to Van Mitras will be made directly into their accounts, adhering to the government's Direct Transfer Benefit (DBT) policy of Government.

Basic implementation guidelines of Scheme

- The saplings to be planted under the scheme will not be the short rotation species like eucalyptus and poplar planted under agro-forestry. Further, only saplings of tree species will be planted.
- The minimum plant-to-plant distance will be eight meters.
- The Van Mitra will select the non-forest land for plantation anywhere in the village, town or city of his residence. In case the plantation is done on land not belonging to Van Mitra, he will hand over the plants to the owner of the land after completion of four years of plantation to the owner of the land and the owner will then take care of the plant as his property. An honorarium of Rs. 25 per handed-over plant will be given to the Van Mitra. In case the planted tree is on the land of Van Mitra himself, he will be deemed to be the owner of the tree and further incentives hereinafter will be admissible to him as the owner of the tree. An agreement will be signed between Van Mitra and the owner of the land to the effect that the owner will not fell the tree for at least 10 years. In case the owner of the tree retains the tree till the tree attains the age of 75 years, the Government may consider giving an honorarium of an amount equivalent to the basic rate of Rs. 100 in the year 2024. Also, such trees will be recognized under the State Government Scheme of Pran Vayu Devta and the custodians will get honorarium admissible under the scheme of Pran Vayu Devta for taking care of the tree.

Role and responsibility of Van Mitra

- To identify and arrange land required for plantation. In case the land identified for the plantation is not in the ownership of the Van Mitra, he will obtain permission from the owner in writing.
- To dig pits required for plantations and further carry out plantations in the pit and take their care as per specifications contained in the Standard Operating Procedures (SOPs).
- To ensure good survival of plantations.

Role and responsibility of the Forest Department

- To provide healthy saplings for the plantation to Van Mitra.
- To impart basic training to Van Mitra on techniques of plantation and its maintenance/ protection and preparation of Standard Operating Procedures (SOPs) like requirements of weeding-hoeing, irrigation, measures for protection of plants from frost etc.
- The forest guards, foresters and range officers will provide advice concerning plantation to Van Mitras within their area of jurisdiction as and when required by them.
- Documentation of assessment of survival percentage of plantation done by Van Mitra.

वन मित्र

[गैर-वन भूमि पर समुदाय द्वारा वृक्षारोपण के लिए हरियाणा सरकार की योजना]

कार्यकारी सारांश

वन मित्र योजना गैर-वन भूमि पर वृक्षारोपण गतिविधियों में सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की एक पहल है। एक स्वस्थ पर्यावरण के लिए हरित आवरण की महत्वपूर्ण भूमिका और हरियाणा में वन क्षेत्रों में कमी को पहचानते हुए, इस योजना का उद्देश्य राज्य भर में वृक्ष आवरण बढ़ाने में स्थानीय समुदायों को सीधे शामिल करना है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के 7500 स्थानीय स्वयंसेवकों के समर्थन का लाभ उठाकर, इस योजना में पर्यावरण संरक्षकता की संस्कृति और वृक्षारोपण और देखभाल के प्रति व्यक्तिगत प्रतिबद्धता को बढ़ावा देने की परिकल्पना की गई है।

परिचय

पर्यावरणीय स्थिरता, भूमि पर हरित आवरण की सीमा पर निर्भर करती है। हरियाणा जैसे कम वन वाले राज्यों में, नागरिकों के लिए पारिस्थितिक संतुलन और परिवेशी पर्यावरण की बहाली के लिए निर्दिष्ट वन क्षेत्रों के बाहर वृक्ष आच्छादन बढ़ाने की आवश्यकता है। वन मित्र योजना सामुदायिक संसाधनों को जुटाने और वृक्षारोपण और वृक्षारोपण की देखभाल के लिए उत्साह पैदा करने के उद्देश्य से एक रणनीतिक कदम है।

योजना का अवलोकन

उद्देश्य: वृक्षारोपण में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना, वृक्षारोपण की जीवित रहने की दर में वृद्धि सुनिश्चित करना और एक स्वस्थ रहने वाले वातावरण के लिए गैर-वन भूमि पर वृक्ष आवरण को बढ़ाना।

परिचालन प्रक्रिया

- जन जागरूकता:** इस योजना का प्रिंट और विजुअल मीडिया और वन विभाग की वेबसाइट के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाएगा।
- पात्र परिवारों की पहचान:** ₹ 1.8 लाख से कम वार्षिक आय वाले पात्र परिवारों/व्यक्तियों की पहचान नागरिक संसाधन सूचना विभाग (सीआरआईडी) द्वारा बनाए गए परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) के आंकड़ों से की जाएगी और योजना में भाग लेने के लिए पात्रता की सूचना परिवारों को विभिन्न माध्यम द्वारा दी जाएगी। इस संदेश के माध्यम से हितधारकों को

योजना की वन मित्र पोर्टल/मोबाइल ऐप पर पंजीकरण की प्रक्रिया के बारे में जागरूक किया जाएगा।

3. पंजीकरण: पात्र परिवार वन मित्र मोबाइल ऐप पर परिवार के एक योग्य सदस्य (आयु 18 से 60 वर्ष के बीच) का पंजीकरण करेंगे। पंजीकरण के समय परिवार सदस्य द्वारा लगाये जाने वाले पौधों की संख्या दर्ज की जायेगी जिसकी अधिकतम सीमा 1000 होगी। पंजीकृत आवेदकों में, कम पारिवारिक आय एवं आयु में कम आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी।

4. भूमि की पहचान: वन मित्र वृक्षारोपण के लिए भूमि की व्यवस्था करेंगे।

5. प्रशिक्षण: वन मित्रों को वृक्षारोपण तकनीकों और सुरक्षा उपायों पर बुनियादी प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्हें वन मित्र मोबाइल ऐप पर व्यावहारिक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा।

कार्यान्वयन समयरेखा और गतिविधियाँ

प्रथम वर्ष

- **फरवरी/मार्च:** पंजीकरण, चयन और प्रशिक्षण।
- **10 जून तक:** वृक्षारोपण के लिए गड्ढे खोदने का काम पूरा।
- **1 जुलाई से 15 अगस्त:** रोपण अवधि।
- **31 अगस्त तक:** वृक्षारोपण सत्यापन और जियो-टैगिंग का पूरा होना।
- **सितंबर से अप्रैल:** वृक्षारोपण का रखरखाव और संरक्षण।
-

दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ष

- वृक्षारोपण का रखरखाव और संरक्षण।

मानदेय

पहला वर्ष

- **जून का अंतिम सप्ताह:** जियो-टैगिंग और मोबाइल ऐप पर वन मित्र द्वारा गड्ढों का फोटो-ग्राफ अपलोड करने पर 20 रुपये प्रति गड्ढा।
- **जुलाई और अगस्त के अंतिम सप्ताह:** वन मित्र द्वारा लगाए गए पौधे की जियो-टैगिंग के बाद 30 रुपये प्रति पौधा ।
- **सितंबर से महीनों का अंतिम सप्ताह:** रोपण के रखरखाव और संरक्षण के लिए 10 रुपये प्रति जीवित पौधा।

द्वितीय वर्ष

- हर महीने के अंतिम सप्ताह में 8 रुपये प्रति जीवित पौधा ।

तीसरा वर्ष

- 5 रु प्रति जीवित पौधा हर महीने के अंतिम सप्ताह में।

चौथा वर्ष

- 3 रु प्रति जीवित पौधा हर महीने के अंतिम सप्ताह में।

प्रौद्योगिकी एकीकरण

वन मित्र ऐप:

- पंजीकरण, जियो-टैगिंग और वृक्षारोपण के अस्तित्व के मूल्यांकन के लिए।
- वन मित्रों को मानदेय का भुगतान सरकार की प्रत्यक्ष हस्तांतरण लाभ (डीबीटी) नीति का पालन करते हुए सीधे उनके खातों में किया जाएगा।

योजना के बुनियादी कार्यान्वयन दिशा-निर्देश

- योजना के तहत लगाए जाने वाले पौधे सफ़ेदा और पॉपलर जैसी छोटी रोटेशन प्रजातियां नहीं होंगी, जिन्हें कृषि-वानिकी के तहत लगाया जाता है। इसके अलावा, केवल पेड़ों की प्रजातियों के पौधों को ही लगाया जाएगा।
- पौधे से पौधे की न्यूनतम दूरी आठ मीटर होगी।
- वन मित्र अपने निवास के गाँव, शहर या शहर में कहीं भी वृक्षारोपण के लिए गैर-वन भूमि का चयन करेंगे। यदि वन मित्र से संबंधित भूमि पर वृक्षारोपण नहीं किया जाता है, तो वह वृक्षारोपण के चार साल पूरे होने के बाद भूमि के मालिक को पौधे सौंप देगा और फिर मालिक अपनी संपत्ति के रूप में देखभाल करेगा। 25 रुपये प्रति पौधे का मानदेय वन मित्र को प्रोत्साहन के रूप में दिया जाएगा। यदि लगाया गया वृक्ष स्वयं वन मित्र की भूमि पर है, तो उसे वृक्ष का स्वामी माना जाएगा और आगे के प्रोत्साहन उसे वृक्ष के स्वामी के रूप में स्वीकार्य होंगे। वन मित्र और भूमि के मालिक के बीच इस आशय के एक समाप्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे कि मालिक कम से कम 10 वर्षों तक पेड़ नहीं काटेगा। यदि पेड़ का मालिक पेड़ को 75 वर्ष की आयु तक रखता है, तो सरकार मालिक/उसके उत्तराधिकारियों को वर्ष 2024 में 100 रुपये की मूल दर के बराबर मानदेय देने बारे विचार कर सकती है। साथ ही, ऐसे पेड़ों को प्राण वायु देवता की राज्य सरकार की योजना के तहत मान्यता दी जाएगी और संरक्षकों को वृक्ष की देखभाल के लिए प्राण वायु देवता की योजना के तहत मानदेय दिया जाएगा।

वन मित्र की भूमिका और उत्तरदायित्व

- रोपण के लिए आवश्यक भूमि की पहचान और व्यवस्था करना। यदि वृक्षारोपण के लिए पहचानी गई भूमि वन मित्र के स्वामित्व में नहीं है, तो वह मालिक से लिखित रूप में अनुमति प्राप्त करेगा।
- वृक्षारोपण के लिए आवश्यक गड्ढे खोदना और गड्ढे में वृक्षारोपण करना और मानक संचालन प्रक्रियाओं में निहित विनिर्देशों के अनुसार उनकी देखभाल करना। (SOPs).
- वृक्षारोपण की सफलता सुनिश्चित करना।

वन विभाग की भूमिका और उत्तरदायित्व

- वन मित्र को रोपण के लिए स्वस्थ पौधे उपलब्ध कराना।
- वन मित्र को वृक्षारोपण की तकनीकों और इसके रखरखाव/संरक्षण और मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) की तैयारी जैसे खरपतवार-कटाई, सिंचाई, ठंड से पौधों की सुरक्षा के उपाय आदि पर बुनियादी प्रशिक्षण प्रदान करना।
- वन रक्षक, वन दरोगा और रेंज अधिकारी वन मित्रों को उनके अधिकार क्षेत्र के भीतर वृक्षारोपण के संबंध में जब-जब आवश्यकता होगी, सलाह देंगे।
- वन मित्र द्वारा किए गए वृक्षारोपण के सफलता प्रतिशत के मूल्यांकन का दस्तावेजीकरण।